न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 24 / 2024(जी.सी.एम.एस.2024 / 390)

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. हिना पुत्री योगेन्द्र कुमार पुत्र रेवाचन्द उर्फ रेवाराम जाति सिन्धी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्रीकरणपुर। 2. चन्द्रेश कुमार पुत्र रेवाचन्द उर्फ रेवाराम जाति सिन्धी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्रीकरणपुर। 3. भगवान दास पुत्र रेवाचन्द उर्फ रेवाराम जाति सिन्धी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्रीकरणपुर। 4. रेखा रानी पत्नी चन्द्रेश कुमार पुत्र रेवाचन्द उर्फ रेवाराम जाति सिन्धी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्रीकरणपुर। 5. कमलेश रानी पत्नी भगवान दास पुत्र रेवाचन्द उर्फ रेवाराम जाति सिन्धी निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्रीकरणपुर।	1.अनिल कुमार पुत्र भानीराम जाति अरोडा निवीस 13 एच ठड्डा हाल आबाद वार्ड नम्बर 5 नया 15 पुराना केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–16.12.2024

उपस्थित:1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री दलजीत सिंह बराउ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

––निर्णय–– **दिनांक : 06.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच ठड्डा, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 132/33, 142/97, 143/97, 35/33, 85/33 के मुरब्बा नम्बर 67 की भूमि प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 67 की कुल 25 बीघा भूमि में से आने-जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण चक 13 एच के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्वी मेड के साथ-साथ स्वीकृत रास्ता से चल कर, मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 में स्वीकृत रास्ता से होते हुए, मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोने से अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 1 में पंहुचते है। यही एकमात्र रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है। अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। चक 13 एच ठड्डा के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 10/1, 11/1 प्रत्येक 0.241 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 19 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 20/1, 21/1 प्रत्येक 0.241 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, कुल 6.268 हैक्टेयर नहरी भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 302/1567 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। परन्तु इस खाता के सह-खातेदारान के द्वारा अपनी काश्त की सहूलियत के हिसाब से बंटवारा में मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21/1 की 0.243 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है और अप्रार्थी संख्या 1 का इस किला पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण वर्षो से इसी रास्ता का उपयोग करते आ रहे है। कुल अर्सा से अप्रार्थी संख्या 1 हम प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में से आवागमन पर एतराज करने लगा है तथा कह रहा है। कि वह प्रार्थीगण को अपनी भूमि में से नहीं जाने देगा। इस पर आज से 15 दिन पूर्व प्रार्थीगण, अप्रार्थी अनिल कुमार से मिले तथा उसे मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने की 20 गुणा 20 वर्ग फीट भूमि रास्ता मंजूर करवा लेने के लिए अर्ज किया तो अप्रार्थी ने रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा ऐलानिया कहा कि वह प्रार्थीगण को अब किसी भी सूरत में अपने खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं देगा। यही वाद कारण कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच ठड्डा, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21/1 के दक्षिणी-पश्चिम कोने में 0.004 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया। प्रार्थीगण हिना, चन्द्रेश कुमार, भगवान दास, रेखा रानी, कमलेश व अप्रार्थी अनिल कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अन्तर्गत समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोना के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 1 की उतरी मेड के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर 25 फीट और मेड से उतर की ओर 12 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत करवा लेने हेतु सहमत हो चुके है। इसी अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु सहमत है। पक्षकारान का रास्ता स्वीकृति के संबध में परस्पर सहमति के अनुसार लेन-देन हो चुका है। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/118 दिनांक 04.03.2025 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक मलकाना कलां मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक मलकाना कलां व पटवारी हलका 13 एच द्वारा चक 13 एच के मुरब्बा नम्बर 60, 61, 62, 67 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 1 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी-पश्चिमी कोना में 0.004 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में मौके पर निर्माणाधीन कमरा है। जिसमें चाहा गया रास्ता अवरूद्ध है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच ठड्डा, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 132/33, 142/97, 143/97, 35/33, 85/33 के मुरब्बा नम्बर 67 की 6.325 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोना में 0.004 हैक्टेयर भूमि से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण हिना, चन्द्रेश कुमार, भगवान दास, रेखा रानी, कमलेश व अप्रार्थी अनिल कुमार, समझौतानामा अनुसार आवेदित रास्ता मुरब्बा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

नम्बर 62 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोना के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 1 की उतरी मेड के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर 25 फीट और मेड से उतर की ओर 12 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत करवा लेने हेतु सहमत हो चुके है। परस्पर सहमति के अनुसार लेन-देन कर चुके है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 1 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोना में 0.003 हैक्टेयर भूमि में से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-ःआदेशः-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच ठड्डा, भू.अ. नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21/1 के दक्षिणी-पश्चिमी कोना की 0.003 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न समझौता मय नक्शानुसार, गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2025/354 **दिनांक :–06.06.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः–प्रकरण संख्या 24/2024 अनवान हिना आदि बनाम अनिल कुमार आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 06.06.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच ठड्डा, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21/1 के दक्षिणी–पश्चिमी कोना की 0.003 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न समझौता मय नक्शानुसार, गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर (जिला) श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते